16

4/05

मध्य प्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास वि.
पंजी क. 2285/42-1
दिनांक 13.9.2019

श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान

विश्वैशवरैया मार्ग (23, पार्क रोड), इंदौर

SHRI G.S. INST. OF TECH. & SCIENCE

No. 2281/PS/TE, SD&E/2019
Dated 12/9/19

शासी निकाय की 123वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक दिनांक	:	30/08/2019
दिन	:	शुक्रवार
समय	:	दोपहर 12.00 बजे
स्थान	:	बोर्ड रूम, एसजीएसआयटीएस, इंदौर

1383 AS
12.9.19

12 SEP 2019

AS(J)
Pl. put up on file for the approval of Hon'ble Minister

SO (I) - कृ. नस्ती में प्रस्तुत करें।
12/9/19

श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर (म0प्र0)

श्री जी.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साईंस, इंदौर (म0प्र0)

शासी निकाय की 123वीं बैठक दिनांक 30 अगस्त, 2019 में रखे गये मदों की सूची

मद क्रमांक	मद का विवरण
मद क्र. 123–01:	संस्थान के शासी निकाय का दिनांक 28/12/2018 से आगामी तीन वर्ष के लिए गठन।
मद क्र. 123–02:	संस्थान की प्रबन्धन समिति, वित्त समिति एवं परिवेदना समिति के पुर्नगठन का अनुमोदन।
मद क्र. 123–03:	संस्थान के शासी निकाय की 122वीं बैठक दिनांक 15.07.2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
मद क्र. 123–04:	संस्थान के शासी निकाय की 122वीं बैठक दिनांक 15.07.2017 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।
मद क्र. (123–05(अ):	संस्थान के वित्त समिति की 66वीं बैठक दिनांक 05/06/2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
मद क्र. (123–05(ब):	संस्थान के वित्त समिति की 67वीं बैठक दिनांक 27/06/2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
मद क्र. (123–05(स):	संस्थान द्वारा चेयरमेन, शासी निकाय से शासी निकाय की प्रत्याशा में अनुमोदित करवाए निर्णयों का पुष्टिकरण।
मद क्र. 123–06:	संस्थान निदेशक डॉ. राकेश सक्सेना द्वारा विगत तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान किये गये विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण।
मद क्र. 123–07:	ए.आई.सी.टी.ई., एन.बी.ए. एवं नेक के मापदण्डों के अनुसार शिक्षकों के पदों का सृजन कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने बाबत एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देने बाबत।
मद क्र. 123–08:	ए.आई.सी.टी.ई., एन.बी.ए. एवं नेक के मापदण्डों एवं रोस्टर अनुसार गैर शिक्षकीय पदों (विशेषकर तकनीकी पदों पर) का सृजन कर राज्य शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर एवं पदोन्नति योजना लागू कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने बाबत।
मद क्र. 123–09(अ):	भारत सरकार द्वारा संचालित टेक्यूप परियोजना के लिए टेक्यूप (बी.ओ.जी.) के गठन बाबत ।
मद क्र. 123–09(ब):	टीईक्यूआईपी प्रोजेक्ट प्रगति पत्रक ।
मद क्र. 123–10:	संस्थान के स्टाफ क्वाटर्स के रहवासियों से नगरनिगम, इंदौर द्वारा लिये जा रहे संपत्ति कर एवं स्वच्छता कर की अदायगी बाबत।
मद क्र. 123–11:	मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वयं का बाहर घर खरीदने पर लाईसेंस फी की अदायगी बाबत ।
मद क्र. 123–12:	संस्थान की पुरानी कार – टाटा इंडिका, टाटा सूमो एवं टाटा इंडिगो को बेचकर नई टाटा कार खरीदने बाबत प्रस्ताव ।
मद क्र. 123–13:	सीआईडीआई सेल के अन्तर्गत सेक्शन–8 के तहत एक कंपनी खोलने की अनुमति बाबत।
मद क्र. 123–14:	संस्थान के वार्डन्स को स्टाफ क्वार्टरस के आवंटन में वरीयता देने बाबत ।
मद क्र. 123–15:	रोटेशन के आधार पर विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव।
मद क्र. 123–16:	संस्थान निदेशक की अनुपस्थिति में निदेक का पदभार सामान्य कार्यों के लिए देने के संबंध में ।
मद क्र. 123–17:	क्रिस्प के अन्तर्गत एमआयएस के माड्यूल लेने बाबत ।

मद क्र. 123–18:	संस्थान में नियमित वेतनमान में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर वेतनमान रु. 9300–34800+4200 (छठा वेतनमान) के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को समयमान वेतन प्रदान करने के संबंध में।
मद क्र. 123–19:	संस्थान के ऐरोबिक्स, योगा, स्पोर्ट्स, संगीत आदि की कक्षाओं के लिए ट्रेनर एवं मानदेय का अनुमोदन।
मद क्र. 123–20:	म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान की राशि रु.20,00,000/– बीस लाख करने तथा अवका नगदीकरण 240 दिनों के स्थान पर 300 दिवस करने के संबंध में।
मद क्र. 123–21:	संस्थान के छात्रों के लिए मेडिक्लेम की सुविधा मुहैया कराने बाबत ।
मद क्र. 123–22:	पी.एच.डी. डिग्रीधारी संविदा शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी करने बाबत।
मद क्र. 123–23:	20 वर्ष की सेवा या 50 साल की आयु सीमा पार कर चुके शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम शिक्षकों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने बाबत।
मद क्र. 123–24:	संस्थान के भाभा छात्रावास को तोड़कर नये सिरे से बनाने बाबत।
मद क्र. 123–25:	संस्थान के लिए नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी की स्वीकृति बाबत ।
मद क्र. 123–26:	संस्थान के लिए नये क्लास रूम काम्पलेक्स के निर्माण बाबत ।
मद क्र. 123–27:	संस्थान के लिए एक पृथक कंप्यूटर सेंटर के निर्माण बाबत ।
मद क्र. 123–28	संस्थान के एम.आर. 10 स्थित जगह पर एक्सटेंशन परिसर का लीज बढ़वाने एवं मास्टर प्लान अनुसार कार्य करवाने बाबत ।
मद क्र. 123–29	संस्थान के धार रोड स्थित जमीन में फार्मेसी विभाग के निर्माण बाबत ।
मद क्र. 123–30	संस्थान के मुख्य प्रशासनिक भवन एवं सभी पुराने भवनों के रखरखाव पर मेंटेनेंस व्यय की राशि में बढ़ोतरी करने बाबत ।
मद क्र. 123–31	संस्थान परिसर में टाटा टेक्नालॉजी लिमिटेड के सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने की अनुमति बाबत।
मद क्र. 123–32:	मध्यप्रदशे ऊर्जा विकास निगम द्वारा संस्थान में 250 किलोवाट के सौर पेनल लगाये जाने बाबत ।
मद क्र. 123–33	डीम्ड यूनिवर्सिटी संबंधी यू.जी.सी. के पत्रानुसार नई कार्यवाही करने एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के मध्यप्रदेश शासन एवं श्री जी.एस. टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इंदौर के मध्य चल रही याचिकाओं (क्र. 2803/08 एवं क्र. 6429/08)के निराकरण के संबंध में ।
मद क्र. 123–34(अ):	संस्थान के गैर शिक्षक कर्मचारियों को दिये गये सातवें वेतनमान का पुष्टिकरण ।
मद क्र. 123–34(ब):	संस्थान के शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिये जाने का अनुमोदन।
मद क्र. 123–35:	संस्थान में वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में सम्मिलित करने बाबत।
मद क्र. 123–36:	संस्थान के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में।
मद क्र. 123–37:	संस्थान में कार्यरत सहायक निदेक, शारीरिक शिक्षा एवं ग्रंथपाल के पदों को शिक्षकीय श्रेणी माने जाने एवं माननीय शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधियों के निर्वाचन के रूप में मान्य किये जाने के संबंध में ।
मद क्र. 123–38:	पुस्तकालय की क्षतिग्रस्त अनुपयोगी पुस्तकों के अपलेखन हेतु।
अध्यक्ष की अनुमति से रखे अन्य मद	
	निरंक

श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर (म.प्र.)

संस्थान के शासी निकाय की 123वीं बैठक दिनांक 30/08/2019 का कार्यवृत्त

संस्थान के शासी निकाय की 123वीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 30/08/2019 को दोपहर 12.00 बजे से बोर्ड रूम, एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर में माननीय श्री बाला बच्चन, मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,मध्यप्रदेश शासन एवं पदेन अध्यक्ष, शासी निकाय, एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष के अतिरिक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे ।

1. श्री बाला बच्चन,
   माननीय मंत्री,
   तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग,
   म0प्र0 शासन, वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

2. श्री प्रमोद अग्रवाल,
   प्रमुख सचिव,
   तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग,
   मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

3. प्रो. सुरेश कुमार
   डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स साईंस,
   कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी,
   कुरूक्षेत्र– 136119
   (यू.जी.सी. द्वारा नामित)

4. डॉ. दीपक बी. फाटक,
   प्रोफेसर,
   डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग,
   कंवल रेकी बिल्डिंग,
   इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, बाम्बे,मुंबई–400 076

5. श्री देवधर दरवाई,
   संभागीय संयुक्त संचालक,
   कोष एवं लेखा, इंदौर
   वित्त विभाग म.प्र. शासन द्वारा नामित

6. श्री अभयसिंह भरकतिया,
   यशवंत निवास कॉलोनी,
   यवंत क्लब के पास, इंदौर

7. डॉ0 एस.एम. नारूलकर,
   प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग,
   श्री जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

8. श्री राजेश धाकड,
   एसोसिएट प्रोफेसर,
   कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग, एसजीएसआयटीएस, इदौर

9. श्री अशोक अतुलकर,
असिस्टेंट प्रोफेसर, मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग
श्री जी.एस. आय.टी.एस., इंदौर

10. इंजी. अतुल सेठ,
प्रेसीडेंट एलुमिनी एसोसिएशन,
एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर — आमंत्रित सदस्य

11. श्री लोकेश जैन,
सचिव, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ,
एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर — आमंत्रित सदस्य

12. प्रो. राकेश सक्सेना,
निदेशक,
एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर . — सदस्य सचिव

निम्न सदस्यों को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष द्वारा Leave of absence प्रदान की गई।

1 प्रो.वीरेन्द्र कुमार,
संचालक तकनीकी शिक्षा, म0प्र0,
सतपुड़ा भवन, चतुर्थ मंजिल,भोपाल – 462 004

2 डॉ. सुनील कुमार गुप्ता,
कुलपति,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गांधी नगर, एयरपोर्ट बायपास रोड,
भोपाल – 462 036

3 क्षेत्रीय अधिकारी,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
शामला हिल्स, टैगोर छात्रावास,
भोपाल– 462 013

4. जस्टिस पी.पी. नावलेकर,
सिविल लाईन्स,
जबलपुर

5. श्री नन्दकुमार . सेकसरिया
सेकसरिया चेम्बर्स,
139, नागिनदास मास्टर रोड,
मुंबई–400 001

6. श्री एस.एन. कोहली,
15/1, साउथ तुकोगंज, इंदौर

माननीय अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा बैठक प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई।

बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

मद क्र. 123–01: **संस्थान के शासी निकाय का दिनांक 28/12/2018 से आगामी तीन वर्ष के लिए गठन।**

संस्थान के शासी निकाय का पूववर्ती दिनांक 28/12/2018 से आगामी तीन वर्ष के लिए गठन का पुष्टिकरण किया गया । पुनर्गठित शासी निकाय की संरचना निम्नानुसार हैः–

क.	शासी निकाय की संरचना	वर्तमान में नामित/पदेन सदस्य
01	माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	पदेन अध्यक्ष
02	प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	पदेन सदस्य
03	प्रमुख सचिव वित्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल	पदेन सदस्य
04	कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो प्रोफेसर श्रेणी से कम का नहीं है ।	पदेन सदस्य
05	यू.जी.सी. द्वारा नामित सहयोजित सदस्य	प्रो. सुरेश कुमार डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स साईंस, कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र–136119
06	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा नामित सदस्य	क्षेत्रीय अधिकारी, अ.भा.तक.शि. प. भोपाल – सदस्य
07	संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल	पदेन सदस्य
08	म.प्र. शासन द्वारा नामित उदयोग प्रतिनिधि	—
09	श्री गो.से. तकनीकी शिक्षा सोसायटी, इंदौर द्वारा नामित तीन सदस्य	(1) जस्टिस पी.पी. नावलेकर (2) डॉ. डी.बी. फाटक (3) श्री अभयसिंह भरकतिया
10	श्री गो.से. चेरिटी ट्रस्ट द्वारा नामित दो सदस्य	1. श्री नंदकुमार सेकसरिया –सदस्य 2. श्री एस.एन. कोहली – सदस्य
11	संस्थान के शिक्षकों द्वारा चयनित तीन सदस्य चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथी से तीन वर्ष हेतु	1. प्रो. एस.एम. नारूलकर, प्राध्यापक – सदस्य 2. श्री राजेश धाकड, एसोसिएट प्राध्यापक– सदस्य 3. श्री अशोक अतुलकर, सहायक प्राध्यापक – सदस्य
12.	निदेशक द्वारा आमंत्रित एलुमिनी	[illegible] आमंत्रित सदस्य
13.	निदेशक द्वारा आमंत्रित गैरशिक्षक कर्मचारी	[illegible] आमंत्रित सदस्य

14.	निदेशक, श्री गो.से. प्रौ. एवं वि. संस्थान, इंदौर	प्रो. राकेश सक्सेना – सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के गठन का अनुमोदन किया गया

मद क्र. 123–02: संस्थान की प्रबन्धन समिति, वित्त समिति एवं परिवेदना समिति के पुर्नगठन का अनुमोदन।

संस्थान की नवगठित शासी निकाय के अनुसार दिनांक 28/12/2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसकी उपसमितियों – प्रबंधन समिति, वित्त समिति, अपील एण्ड ग्रीवेंस कमेटी के पुनर्गठन का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(अ) संस्थान की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन ।

संस्थान की प्रबंधन समिति की संरचना के अनुसार निम्नानुसार प्रबन्ध समिति के पुनगर्ठन का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन – अध्यक्ष
2. संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश – सदस्य
3. शासी निकाय में शिक्षक वर्ग से नामित एक सदस्य – सदस्य
4. शासी निकाय के दो अन्य स्थानीय सदस्य – सदस्य
5. संस्थान के निदेशक – सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति के गठन का अनुमोदन किया गया।

(ब) संस्थान की वित्त समिति के गठन की सूचना एवं अनुमोदन ।

संस्थान की स्वायत्ता के चार्टर में दिये गये प्रारूप के अनुसार शासी निकाय का पुनर्गठन किया जाना है। वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल या उनका प्रतिनिधि – पदेन अध्यक्ष
2. संचालक तकनीकी क्षिा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल – पदेन सदस्य
3. ए.आई.सी.टी.ई. के क्षेत्रीय अधिकारी, भोपाल – पदेन सदस्य
4. शासी निकाय के सदस्य शिक्षक प्रतिनिधियों में से शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामांकित एक सदस्य – सदस्य
5. संस्थान के वित्त अधिकारी – विशेष आमंत्रित सदस्य
6. सस्थान के निदेशक – पदेन सदस्य सचिव

शासी निकाय के सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में प्रो. एस.एम. नारूलकर के नाम का नामांकन किया गया।उपरोक्तानुसार नवगठित वित्त समिति का अनुमोदन किया गया ।

(स) संस्थान की अपील एवं ग्रीवेंस कमेटी का पुनर्गठन ।

संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के संस्थान से संबंधित विभिन्न परिवेदनाओं के निवारण हेतु संस्थान की एक 'अपील एवं ग्रीवेंस कमेटी' है। इस समिति की संरचना निम्नानुसार है ।

1.	संचालक, तकनीकी शिक्षा, म0प्र0, भोपाल	—	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा नामित वकील या न्यायपालिका का एक सदस्य	—	सदस्य
3.	शासी निकाय द्वारा नामित एक शिक्षक प्रतिनिधि	—	सदस्य
4.	संस्थान के लीगल कार्यों से संबंधित प्रोफेसर इंचार्ज/ अधिकारी	—	सदस्य सचिव

शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य तथा नामित वकील या न्यायपालिका के एक सदस्य को मानोनित करने हेतु निदेशक को अधिकृत किया गया।

उपरोक्तानुसार अपील एवं परिवेदना समिति का पुर्नगठन किया गया ।

मद क्र. 123—03: संस्थान के शासी निकाय की 122वीं बैठक दिनांक 15.07.2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

संस्थान के शासी निकाय की 122वीं बैठक दिनांक 15.07.2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

मद क्र. 123—04: संस्थान के शासी निकाय की 122वीं बैठक दिनांक 15.07.2017 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।

संस्थान के शासी निकाय की 122वीं बैठक दिनांक 15.07.2017 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही को नोट किया तथा निर्देशित किया गया कि निर्णयों पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इसी मद के बिन्दु क्र.7 पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत शासन द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत जारी दे की 100 श्रेष्ठ तकनीकी संस्थाओं की सूची में संस्थान का नाम न होने के कारणों के रूप में बताया गया कि संस्थान के स्नातक पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या बढ़ने तथा आईआईटी, एनआईटी जैसी संस्थानों के बड़ी संख्या में खुलने के कारण उच्च रैंकिंग के छात्र प्रवेश नहीं लेते हैं । साथ ही नियमों के अन्तर्गत 30 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के छात्रों को भी प्रवेश देना होता है।

चर्चा में यह भी बताया गया कि एनआईआरएफ के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर संस्थान को मेजर करता है कि सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाली संस्थानों में उसका क्या स्थान है और उसी के अनुरूप अनुदान मिलता है। साथ ही हर साल एनआईआरएफ के पेरामीटर भी बदलते रहते हैं जिसे परिपक्व होने में समय लगेगा।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के एलुमिनी के साथ मिलकर एक **'विजन डाकुमेंट'** बनाकर उसके पालन का प्रयास किया जाये। साथ ही एन.आई.आर.एफ. के तहत एक टीम बनाकर कार्य करना चाहिए। संस्थान में पेटेंट की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा जिन विभागों में छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं है वहां पर अपने आर्थिक संसाधन को देखते हुए नियमित पदों पर भर्ती होनी चाहिए क्योंकि संविदा शिक्षक इस हेतु मान्य नहीं किये जाते हैं।

मद क्र. (123–05(अ): संस्थान के वित्त समिति की 66वीं बैठक दिनांक 05/06/2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

संस्थान की वित्त समिति की 66वीं बैठक दिनांक 5.6.2018 के कार्यवृत्त के पुष्टिकरण के समय बताया गया कि रु.53,66,60,000/– की फाईनल अकाउंटिंग हो चुकी है तथा वास्तविक रूप में 6–7 करोड़ का घाटा है। मध्यप्रदेश` शासन से प्रतिवर्ष करीब सात करोड़ का अनुदान मिलता है| मंत्री जी ने शासन द्वारा दिये जा रहे अनुदान में बढ़ोतरी हेतु अपने स्तर पर प्रयास करने हेतु आश्वस्त किया।

उपरोक्तानुसार चर्चा उपरान्त वित्त समिति की 66वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया ।

इसी मद पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हर तीन महीने में शासी निकाय की बैठक होनी चाहिए तथा आवश्यक रूप से साल में चार बैठकें होनी चाहिए । यदि किसी कारणवश माननीय मंत्री नहीं आ पाते हैं तो उनके स्थान पर प्रमुख सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे । यदि वे भी नहीं आ पाते हैं तो प्रो. डी.बी. फाटक बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

मद क्र. (123–05(ब): संस्थान के वित्त समिति की 67वीं बैठक दिनांक 27/06/2019 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

वर्ष 2019–20 का अनुमानित बजट रु.57,05,90,000/– का है जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में करीब चार करोड़ अधिक है। इसी मद पर चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि संस्थान को वर्तमान में करीब 15 करोड़ रुपये टेक्यूप परियोजना के अन्तर्गत मिले हैं परन्तु इस राशि का उपयोग अधोसंरचनात्मक विकास के कार्यों के लिए न करते हुए केवल प्रयोगशालाओं के उन्नयन, विकास, स्टाफ के प्रक्षिण आदि के लिए किया जा सकता है। अतः यह सुझाव दिया गया कि संस्थान द्वारा जो रा प्रयोगशालाओं आदि पर खर्च की जाती है वह टेक्यूप परियोजना के अर्न्तगत प्राप्त राशि से की जाए तथा इस प्रकार बची हुई राशि का उपयोग संस्थान के अधोसंरचनात्मक विकास आदि में किया जाए।

इस मद पर चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान के केम्पस के लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिए । यदि पहले से बना हो तो वर्तमान आवष्यकताओं को देखते हुए इसमें यथोचित संशोधन करवा लें।

संस्थान में संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियें के लिए शासन के नियमानुसार किसी पद के न्यूतम मूल वेतन के 90 प्रतिशत समेकित वेतन दिये जाने के संबंध में गहन चर्चा हुई तथा निर्णय लिया गया की शासन में भी विचाराधीन है | अतः इसका अनुमोदन नहीं किया गया |

उपरोक्तानुसार निर्णयों एवं चर्चा उपरान्त वित्त समिति की 67वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद क्र. (123–05(स): **संस्थान द्वारा चेयरमेन, शासी निकाय से शासी निकाय की प्रत्याशा में अनुमोदित करवाए निर्णयों का पुष्टिकरण।**

संस्थान के शासी निकाय की पिछली बैठक करीब दो वर्ष पूर्व दिनांक 15.7.2017 को सम्पन्न हुई थी। इस प्रकार निर्धारित अंतराल में शासी निकाय की बैठक नहीं हो पाने के कारण शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, कर्मचारियों के समयमान वेतनमान, कर्मचारियों का सातवां वेतनमान, नए सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, एवं नियुक्ति पत्र, भर्ती आदि प्रकरणों पर शासी निकाय के अनुमोदन के पुष्टिकरण की प्रत्याशा में माननीय अध्यक्ष शासी निकाय से नोटशीट पर अनुमोदन लिया गया था तथा कार्यों का निष्पादन किया गया। | लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों की आचार सहिंता लागु होने के कारण शासी निकाय की बैठक नहीं हो पाई थी यदपि ये अनुमोदन शासी निकाय के पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिये गये थे|

उपरोक्त हेतु अनुमोदन एवं पुष्टिकरण किया गया |

सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में याचिकाएं दायर की गई हैं, अतः इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया की यह न्यायालय के निर्णय के अधीन माना जायेगा |

मद क्र. 123–06: **संस्थान निदेशक डॉ. राकेश सक्सेना द्वारा विगत तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान किये गये विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण।**

संस्थान निदेशक डॉ. सक्सेना ने अपने द्वारा विगत तीन वर्षों के अपने कार्यकाल में किये गये महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों आदि की जानकारी सदन को दी । उन्होंने यह बताया कि संस्थान के एलुमिनी को संस्थान के विकास कार्यों से जोड़ने के लिए उनके द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है परिणामस्वरूप उनकी ओर से भी संस्थान के विकास में सकारात्मक पहल हो रही है|

पिछले दस सालों से एलुमिनी की ओर से प्रतिवर्ष संस्थान को कुछ न कुछ देने की परम्परा रही है जो कि संस्थान के लिए सुखद स्थिति है। अतः यह निर्णय लिया गया कि एलुमिनी द्वारा दिये गये कार्यों को संग्रहित कर यादगार बनाने के लिए एक स्पेशल पाम्पलेट/बुकलेट छपवाया जाए तथा उन्हें बांटा जाए।

मद क्र. 123–07: **ए.आई.सी.टी.ई., एन.बी.ए. एवं नेक के मापदण्डों के अनुसार शिक्षकों के पदों का सृजन कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने बाबत एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ देने बाबत।**

(अ) संस्थान के कुछ पाठ्यक्रमों का एनबीए एक्रीडिटेशन प्राप्त हो गया है तथा कंप्यूटर, आईटी एवं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए एक्रीडिटेशन प्राप्त न होने की स्थिति में एआईसीटीई के समक्ष अपील की गई है जो कि विचाराधीन है। इन तीन पाठ्यक्रमों में एक्रीडिटेशन न होने का मुख्य कारण छात्र–शिक्षक अनुपात एआईसीटीई द्वारा निर्धारित अनुपात से थोड़ा कम है तथा इन विभागों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को एनबीए द्वारा मान्य नहीं किया जाना है।

21

शासी निकाय ने प्रस्ताव अनुसार पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृति देने के बजाय यह अनुशंसा की कि एनबीए एक्रीडिटेशन के सम्बन्ध में विभागों में शिक्षकों की आवश्यकता के संदर्भ में एक कमेटी बनाकर पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव शासी निकाय की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। साथ ही शिक्षकों के पदों पर नियमित नियुक्ति से संस्थान पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा इसका भी आकलन कर शासी निकाय में प्रस्तुत किया जाए। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में मानदण्ड के रूप में गेट, नेट जैसी परीक्षाओं के अंक शामिल कर बाकी इंटरव्यू आदि के लिए निर्धारित किया जाए।

उपरोक्तानुसार भर्ती प्रक्रिया संस्थान के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी <u>'सेवा भर्ती नियम'</u> बनाकर तथा शासी निकाय के अनुमोदन के उपरान्त ही चालू की जाए। यह प्रक्रिया अगले तीन माह में आवष्यक रूप से कर ली जावे।

(ब) संस्थान द्वारा वर्ष 2017 तक पात्र शिक्षकों के लिए कैरियर एडवांट के माध्यम से पदोन्नति देने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है जिसका अनुमोदन किया गया । शासी निकाय ने यह निर्देशित किया कि वर्ष 2018 एवं 2019 में पात्रता रखने वाले शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ दिये जाने हेतु एक कमेटी बनाकर तथा शासी निकाय/अध्यक्ष शासी निकाय से अनुमोदन लेकर कैरियर एडवासमेंट की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।

<u>मद क्र. 123–08:</u> <u>ए.आई.सी.टी.ई., एन.बी.ए. एवं नेक के मापदण्डों एवं रोस्टर अनुसार गैर शिक्षकीय पदों (विशेषकर तकनीकी पदों पर) का सृजन कर राज्य शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर एवं पदोन्नति योजना लागू कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने बाबत।</u>

संस्थान के विभिन्न विभागों में गैर शिक्षकीय कर्मचारियों (विशेषकर तकनीकी पदों पर) की आवश्यकता के मद्देनजर नये पदों का सृजन करने संबंधी प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि बिना पदों की संख्या, आवश्यकता, अनुमानित वित्तीय भार आदि के विवरण के निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः पहले उपरोक्तानुसार विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासी निकाय की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि संस्थान के कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश शासन के नियमों के प्रकाश में 'सेवा भर्ती नियम' बनाकर तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर का अनुपालन करते हुए वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को शासकीय नियमानुसार पदोन्नति योजंना का लाभ दिया जाए एवं नई भर्ती हेतु कार्यवाही की जाए।

<u>मद क्र. 123–09(अ):</u> <u>भारत सरकार द्वारा संचालित टेक्यूप परियोजना के लिए टेक्यूप (बी.ओ.जी.) के गठन बाबत ।</u>

संस्थान में भारत सरकार द्वारा संचालित टेक्यूप परियोजना के लिए एक पृथक टेक्यूप (बीओजी) की आवश्यकता बताई गई है जिसके अभाव में संस्थान को करीब दो करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अतः प्रस्ताव अनुसार यह निर्णय लिया गया कि प्रो. डी.बी. फाटक की अध्यक्षता में टेक्यूप परियोजना की अवधि के लिए टेक्यूप (बीओजी) का गठन किया जाए। चूंकि डॉ. फाटक काफी व्यस्त रहते हैं और नहीं आ सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उनसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर ली जावे। इसमें संस्थान से दो प्रोफेसर रखे जावे और एक सदस्य सोसायटी से रखा जावे। यह टेक्यूप(बी.ओ.जी.) संस्थान की शासी निकाय/ अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु रखा जायेगा यह टेक्यूप (बीओजी) परियोजना के चलने तक ही मान्य रहेगी।

मद क्र. 123–09(ब): टीईक्यूआईपी प्रोजेक्ट प्रगति पत्रक ।

टेक्यूप परियोजना प्रगति का अवलोकन कर नोट किया।

मद क्र. 123–10: संस्थान के स्टाफ क्वाटर्स के रहवासियों से नगरनिगम, इंदौर द्वारा लिये जा रहे संपत्ति कर एवं स्वच्छता कर की अदायगी बाबत।

संस्थान निदेशक ने यह बताया कि वर्तमान में नगर निगम, इंदौर द्वारा संपदा कर की राशि काफी बढ़ा दी गई है जिस हेतु संस्थान द्वारा पत्राचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्धारित दर के अनुरूप संस्थान द्वारा पिछले वर्षों की संपत्ति कर की अदायगी कर दी जाए तथा संपदा कर कम करने के लिए नगर निगम/शासन से पत्राचार किया जाए । प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा ने कहा कि यदि संस्थान चाहे तो अपनी ओर से वे नगर निगम/शासन के संबंधित अधिकारी से चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

चूंकि संपत्ति कर का भुगतान हमेशा ही उसके स्वामी द्वारा किया जाता है, अतः संस्थान के स्टाफ क्वार्टर्स के रहवासियों से नगर निगम इंदौर द्वारा लिये जा रहे संपत्ति कर की अदायगी के प्रकरण को मान्य नहीं किया गया ।

वर्तमान में नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रत्येक परिवार से शुल्क प्रतिमाह लिये जाने का प्रावधान है जिसे शासी निकाय ने रहवासियों से लेने की अनुमति प्रदान की

मद क्र. 123–11: मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वयं का बाहर घर खरीदने पर लाईसेंस फी की अदायगी बाबत ।

मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार संस्थान के स्टाफ क्वार्टरस में रहने वाले सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों से इंदौर शहर की सीमा में मकान खरीदने पर संस्थान द्वारा लाइसेंस फी की वसूली करने का अनुमोदन किया गया । नियमानुसार ऐसे कर्मचारियों से दोहरा लाइसेंस फी की वसूली शासकीय नियमानुसार की जावेगी।

मद क्र. 123–12: संस्थान की पुरानी कार – टाटा इंडिका, टाटा सूमो एवं टाटा इंडिगो को बेचकर नई टाटा कार खरीदने बाबत प्रस्ताव ।

शासी निकाय ने प्रस्ताव अनुसार संस्थान की पुरानी टाटा कारों को बेचकर नई टाटा कार खरीदने के प्रस्ताव को अमान्य करते हुए निर्देशित किया कि अनुपयोगी पुरानी कारों को बेच दी जाए

तथा उनके स्थान पर नई कार खरीदने के बजाय मय वाहन चालक के किराये से कार लेने हेतु अनुबंध किया जाए । इस हेतु निदेशक को अधिकृत किया गया।

मद क्र. 123–13: सीआईडीआई सेल के अन्तर्गत सेक्शन–8 के तहत एक कंपनी खोलने की अनुमति बाबत।

भारत सरकार के कंपनी अधिनियम के अनुभाग–8ए के प्रावधानों के तहत सीआईडीआई के अन्तर्गत एक कंपनी खोलने तथा पंजीयन करवाने की अनुमति प्रदान की गयी जिसके तहत एन्क्युबेशन हेतु सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है साथ ही चर्चा अनुसार यह निर्णय लिया गया की संस्थान में **"मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग"** हेतु सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाया जावे एवं प्रो. सुरेश कुमार सहित संस्थान के विशेषज्ञ के साथ कार्य प्रारंभ किया जावे| एवं इसके लिए TEQIP एवं अन्य से संसाधन जुटाये जाय|

मद क्र. 123–14: संस्थान के वार्डन्स को स्टाफ क्वार्टरस के आवंटन में वरीयता देने बाबत ।

यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के वार्डन्स को संस्थान के छात्रावासों में उनकी आवश्यकता को देखते हुए क्वार्टस आवंटन में वरीयता दी जाए । परन्तु क्वार्टस के शिफ्टिंग में वार्डन को प्राथमिकता दिये जाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया ।

यह भी निर्णय लिया गया कि जिन शिक्षकों को वार्डन नियुक्त किया जाता है उन्हें वार्डन के रूप में तीन साल तक अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है अन्यथा उनसे आवंटित आवास रिक्त करा लिया जाएगा।

मद क्र. 123–15: रोटेशन के आधार पर विभागाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव।

जिन विभागों में दो या दो से अधिक प्रोफेसर कार्यरत है वहां पूर्वानुसार प्रचलित नियम लागु रहेंगे। चूंकि रोटेशन के आधार पर विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की परम्परा आईआईटीज जैसी संस्थानों में भी है । अतः प्रस्ताव अनुसार विभाग की आवष्यकताओं को देखते हुए पी.एच.डी. धारक एसोसिएट प्रोफेसर को भी विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस हेतु निदेशक को अधिकृत किया गया|

मद क्र. 123–16: संस्थान निदेशक की अनुपस्थिति में निदेशक का पदभार सामान्य कार्यो के लिए देने के संबंध में ।

यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के निदेशक की अनुपस्थिति में निदेशक के सामान्य कार्यों के संपादन के लिए पदभार संस्थान के वरिष्ठतम प्राध्यापक के साथ–साथ नियुक्त चारों डीन में से किसी एक को भी दिया जा सकता है , इस हेतु निदेशक को अधिकृत किया गया|

मद क्र. 123—17: **क्रिस्प के अन्तर्गत एमआयएस के माड्यूल लेने बाबत ।**

संस्थान द्वारा एमआयएस हेतु मेसर्स सेरोसाफ्ट से किये अनुबंध एवं उसके अनुसार कार्य नहीं होने से किये गये एवं रोके गये भुगतान से शासी निकाय को अवगत कराया गया ।

चूंकि संस्थान के लिए एमआयएस बहुत जरूरी है तथा पहले भी और अब भी मध्यप्रदेश शासन के संस्थान क्रिस्प, भोपाल से सेवाएं ली जा रही है। अतः प्रस्ताव अनुसार यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के लेखा, स्थापना एवं अन्य संबंधी कार्यों हेतु टेक्यूप–3 परियोजना के अन्तर्गत क्रिस्प से सेवाओं के साथ प्रोडक्ट तथा उसके अगले 3–4 साल तक संचालन/अपग्रेडेशन का भी विस्तृत वर्कआउट कर समिति बना कर आवश्यकतानुस MIS पूर्ण किया जावे।

मद क्र. 123—18: **संस्थान में नियमित वेतनमान में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर वेतनमान /रु.9300—34800+4200 (छठा वेतनमान) के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को समयमान वेतन प्रदान करने के संबंध में।**

संस्थान में नियमित वेतनमान में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर वेतनमान रु.9300—34800+4200/— (छटवां वेतनमान) के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को संस्थान के अन्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान के नियमों के तहत समयमान वेतनमान देने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद क्र. 123—19: **संस्थान के ऐरोबिक्स, योगा, स्पोर्ट्स, संगीत आदि की कक्षाओं के लिए ट्रेनर एवं मानदेय का अनुमोदन।**

(अ) वर्तमान में बिना पद सृजन के संस्थान में संचालित ऐरोबिक्स, योगा, स्पोर्ट्स, संगीत आदि की कक्षाओं के लिए ट्रेनर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

अतः यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार कार्यों हेतु अंकालिक रूप से ट्रेनर्स की नियुक्ति की जाए तथा उन्हें मानदेय का भुगतान करने का अनुमोदन प्रदान किया ।

(ब) संस्थान में वर्तमान में केवल एक ही पुरूष स्पोर्ट्स आफिसर है, अतः संस्थान में छात्र—छात्राओं की संख्या को देखते हुए खेलकूद गतिविधियों के समग्र संचालन हेतु अंकालिक में स्कूलों के तर्ज पर एक महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की नियुक्ति करने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद क्र. 123—20: **म. प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु—सह—सेवानिवृत्ति उपादान की राशि रु.20,00,000/— बीस लाख करने तथा अवकाश नगदीकरण 240 दिनों के स्थान पर 300 दिवस करने के संबंध में।**

म.प्र. शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9—13/17/नियम/चार, भोपाल दिनांक 26.10.2017 के अनुसार नियमानुसार सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु—सह—सेवानिवृत्ति उपादान की राशि दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख कर दी गई है । तदनुसार संस्थान के शिक्षकों

एवं कर्मचारियों को मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान की राशि देने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

इसी प्रकार अर्जित अवकाश नगदीकरण की अधिकतम सीमा 240 के स्थान पर 300 किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । यह संशोधन दिनांक 1.7.2018 के पश्चात सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों पर भी लागू है।

मद क्र. 123–21: संस्थान के छात्रों के लिए मेडिक्लेम की सुविधा मुहैया कराने बाबत।

संस्थान के छात्रों से समिति बनाकर Agency से अनुबंध कर प्रति छात्र की दर से राशि लेकर उनके लिए पचास हजार का मेडिक्लेम कराने का अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी सुझाव दिया गया कि चूंकि यह योजना काफी अच्छी है, अतः रा.गा.प्रौ.वि.वि. के अन्तर्गत सभी महाविद्यालयों में इस योजना को लागू करने के लिए पत्राचार किया जाए।

मद क्र. 123–22: पी.एच.डी. डिग्रीधारी संविदा शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी करने बाबत।

नेट/स्लेट के साथ जो संविदा शिक्षक जो science एवं humanities में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं उन्हें प्रतिमाह समेकित वेतनमान रु.35,000/– देने का अनुमोदन प्रदान किया । Engineering एवं MBA में मिनिमम योग्यता PG होने के कारण पी.एच.डी. की उपाधिधारक को भी उपरोक्त लाभ दिया जावेगा।

मद क्र. 123–23: 20 वर्ष की सेवा या 50 साल की आयु सीमा पार कर चुके शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम शिक्षकों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देने बाबत।

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 20 वर्ष की सेवा या 50 साल की आयु पूर्ण कर चुके शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम शिक्षकों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए एक कमेटी बनाई जाए तथा आवष्यक चिकित्सीय जांच एवं गोपनीय चरित्रावली जाँच के उपरान्त प्रकरण संचालक तकनीकी शिक्षा को स्वीकृति के लिए भेजा जाए। मध्यप्रदेश शासन के संदर्भ में संस्थान के प्रस्ताव को शासी निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

मद क्र. 123–24: संस्थान के भाभा छात्रावास को तोड़कर नये सिरे से बनाने बाबत।

संस्थान परिसर में वर्तमान में चार बालक छात्रावास है | स्नात्तकोत्तर बालको के लिये छात्रावास सुविधा नहीं है एवं छात्रावास परिश्सर में अनुपयोगी जगह भी पड़ी हुई है | संसथान के भाभा छात्रावास जो की काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है| अतः संस्थान के भाभा होस्टल को तोड़कर नये सिरे से बनाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि संस्थान में तकनिकी समिति का गठन कर एवं भारत सरकार/प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेज कर राशी मिलने के उपरान्त नया बहुमंजिला छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी|

मद क्र. 123–25: संस्थान के लिए नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी की स्वीकृति बाबत ।

इस मद को विलोपित किया गया ।

मद क्र. 123–26: संस्थान के लिए नये क्लास रूम काम्पलेक्स के निर्माण बाबत ।

यह निर्णय लिया गया कि पहले संपूर्ण संस्थान के लिए मास्टर प्लान बना लिया जाए तथा इस हेतु जगह निर्धारित कर ली जाए । यदि भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन नये क्लास रूम काम्पलेक्स के निर्माण हेतु राशि देती है तो इसका निर्माण कर लिया जाए।

मद क्र. 123–27: संस्थान के लिए एक पृथक कंप्यूटर सेंटर के निर्माण बाबत ।

अभी संस्थान में अन्य उच्च संस्थानो के तर्ज पर प्रथक कंप्यूटर सेंटर नहीं है | संस्थान के लिए एक पृथक कंप्यूटर सेंटर के निर्माण पर करीब बारह करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। अगर यह राशि मध्यप्रदेश शासन/केन्द्र शासन/ एलुमिनी द्वारा किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है तो उससे कंप्यूटर सेंटर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। जैसे जैसे राशि मिलती जाए, चरणबद्ध तरीके से इसका निर्माण करा लिया जाए।

मद क्र. 123–28: संस्थान के एम.आर. 10 स्थित जगह पर एक्सटेंशन परिसर का लीज बढ़वाने एवं मास्टर प्लान अनुसार कार्य करवाने बाबत ।

निदेक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि एम.आर.–10 स्थित जगह संस्थान की है तथा इसका पंजीयन निदेशक एसजीएसआयटीएस के नाम से है जिसमें वर्तमान में 'जी.एस.आई.एम.आर.' नाम से सोसायटी की दूसरी प्रबंध संस्था चल रही है । वे इस जगह को संस्थान का दूसरे एक्सटेंशन परिसर मानते हुए इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मास्टर प्लान के साथ लीज बढ़ाकर संस्थान में वर्तमान में संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम को भी

24

वहां पर स्थानांतरित करना चाहते हैं ताकि दोनों संस्थानों के एम.बी.ए. पाठ्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके। उक्त प्रस्ताव हेतु अनुमोदन किया गया।

मद क्र. 123–29 संस्थान के धार रोड स्थित जमीन में फार्मेसी विभाग के निर्माण बाबत ।

सरकार द्वारा यह जमीन फार्मेसी विभाग बनाने हेतु दी गयी थी अतः प्रस्ताव अनुसार यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के धार रोड स्थित जमीन पर फार्मेसी विभाग के लिए पृथक भवन बनाने हेतु यदि शासन से राशि प्राप्त होती है तो वहां पर भवन निर्माण कर फार्मेसी विभाग को स्थानान्तरित किया जाए । शासी निकाय द्वारा संस्थान निदेशक को फार्मेसी विभाग के लिए भवन बनाने हेतु शासन से पत्राचार की अनुमति प्रदान की गई।

मद क्र. 123–30 संस्थान के मुख्य प्रशासनिक भवन एवं सभी पुराने भवनों के रखरखाव पर मेंटेनेंस व्यय की राशि में बढ़ोतरी करने बाबत ।

चुकी संस्थान के अधिकांश भवन 65 साल पुराने हो चुकें है अतः यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के भवनों के रखरखाव हेतु संस्थान के पास राशि उपलब्ध हो तो संस्थान के मुख्य प्रशासनिक भवन सहित अन्य भवनों के मेंटेनेंस पर आने वाले व्यय को आवश्यकता अनुसार बढोतरी का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद क्र. 123–31 संस्थान परिसर में टाटा टेक्नालॉजी लिमिटेड के सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने की अनुमति बाबत।

निदेशक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक अनुबंध का निष्पादन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत टाटा टेक्नालॉजी लिमिटेड द्वारा संस्थान में एक 'टाटा सेंटर फॉर एक्सीलेंस' खोला जाएगा जिससे संस्थान के छात्र, छात्राओं एवं शिक्षकों को फायदा होगा। इसके लिए वर्कशॉप एवं आसपास भूतल में उपयुक्त जगह को चिन्हित कर शासी निकाय ने प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की ।

मद क्र. 123–32: मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा संस्थान में 250 किलोवाट के सौर पेनल लगाये जाने बाबत ।

निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश शासन की योजना के तहत मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा इस संस्थान में 250 किलोवाट के सौर पेनल लगाया जाना प्रस्तावित है जिसकी लागत एवं मेंटेनेंस व्यय का भार भी ऊर्जा विकास निगम ही वहन करेगा तथा बदले में संस्थान द्वारा नियमानुसार प्रति किलोवाट की दर से ऊर्जा विकास निगम को भुगतान किया जाएगा।

म्द क्र. 123–33 डीम्ड यूनिवर्सिटी संबंधी यू.जी.सी. के पत्रानुसार नई कार्यवाही करने एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के मध्यप्रदेश शासन एवं श्री जी.एस. टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इंदौर के मध्य चल रही याचिकाओं (क्र. 2803/08 एवं क्र. 6429/08)के निराकरण के संबंध में ।

संस्थान द्वारा पूर्व में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हेतु आवेदन किया गया था वह यू.जी.सी. द्वारा निरस्त कर दिया गया है |

संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने हेतु यू.जी.सी. के नये नियमों के तहत कार्यवाही की जाए | तथा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर में डीम्ड यूनिवर्सिटी के संबंध में मध्यप्रदेश शासन एवं श्री जी.एस. टेक्नालॉजीकल सोसायटी, इंदौर के मध्य चल रही याचिकाओं (क्र. 2803/08 एवं क्र. 6429/08) जो कि उक्त आवेदन से सम्बंधित थी | चूँकि यू.जी.सी. द्वारा पुनः नए नियमो (2019) के तहत पुनः आवेदन करने हेतु कहा गया है| इस हेतु संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी हेतु कार्यवाही करे |

अतः society से इस हेतु लगाये गए याचिकाओ को वापस लेने का अनुरोध किया गया जिससे संस्थान के आगामी कार्य NAAC/NBA जैसे कार्य बाधित न हो |

मद क्र. 123–34(अ): संस्थान के गैर शिक्षक कर्मचारियों को दिये गये सातवें वेतनमान का पुष्टिकरण ।

शासी निकाय ने माननीय अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा संस्थान के गैर शिक्षक कर्मचारियों को दिये गये सातवें वेतनमान (एरियर्स के भुगतान सहित) देने के अनुमोदन का पुष्टिकरण किया ।

25

मद क्र. 123–34(ब): संस्थान के शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिये जाने का अनुमोदन।

चूंकि अभी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मध्यप्रदेश में सातवां वेतनमान लागू नहीं किया गया है, अतः जब भी शासन द्वारा शिक्षको के लिए सातवां वेतनमान लागू किया जावेगा तदानुसार इसका लाभ शिक्षको को देने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद क्र. 123–35: संस्थान में वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में सम्मिलित करने बाबत।

भारत शासन की नई पेंशन योजना (NPS) के तहत संस्थान में वर्तमान में 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी, तथा 2005 तक के चयनित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए वर्तमान में संचालित भविष्य निधि योजना को ही यथावत रखी जाए।

मद क्र. 123–36: संस्थान के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में।

संस्थान के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों (तकनीकी, सहायक इंजीनियर एवं गैर शिक्षकीय कर्मचारियों सहित) के लिए मध्यप्रदेश शासन के समयमान वेतनमान के अनुसार समयमान वेतनमान योजना उसके आदेशकाल से लागू की जा चुकी है। तदनुसार आदेश में उल्लेखित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है जिसकी स्वीकृति शासी निकाय द्वारा पूर्व में दी जा चुकी है।

शासन के एवं भर्ती नियमानुसार अन्य कर्मचारियों के लिए शासी निकाय ने निर्णय लिया कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें अब तक समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए नया प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाए एवं तदनुसार कार्यवाही की जाए।

मद क्र. 123–37: संस्थान में कार्यरत प्रभारी (Games & Sports) एवं ग्रंथपाल के पदों को शिक्षकीय श्रेणी माने जाने एवं माननीय शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधियों के निर्वाचन के रूप में मान्य किये जाने के संबंध में ।

संस्थान में कार्यरत प्रभारी Games & Sports एवं ग्रंथपाल दोनों को शासी निकाय ने शिक्षक प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कर मतदान करने की

26

स्वीकृति प्रदान की । परन्तु ये दोनों, शिक्षक प्रतिनिधियों के निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे अर्थात उन्हें केवल मतदान करने की पात्रता रहेगी।

मद क्र. 123–38: पुस्तकालय की क्षतिग्रस्त अनुपयोगी पुस्तकों के अपलेखन हेतु।

ग्रंथपाल द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुस्तकालय की क्षतिग्रस्त अनुपयोगी पुस्तकों के अपलेखन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस हेतु संस्थान के निदेशक को अधिकृत किया गया ।

अध्यक्ष की अनुमति से रखे अन्य मद

मद क्र. 123–39: निरंक

अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद देने के साथ शासी निकाय की बैठक समाप्त हुई।

(डॉ. राकेश सक्सेना)
सचिव, शासी निकाय
एवं निदेशक, एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

(श्री प्रमोद अग्रवाल)
उपाध्यक्ष, शासी निकाय एवं
प्रमुख सचिव,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

26-09-19
(माननीय श्री बाला बच्चन)
अध्यक्ष, शासी निकाय, एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर
एवं मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

(बाला बच्चन)
मंत्री
...तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास
रोजगार, लोक सेवा प्रबंधन विभाग,
म. प्र. शासन

क्रमांक 293 दिनांक 26.09.2019